

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in,

Phone/Fax No:-01368-222215

पत्रांक:- 2650 / 12-1 : दिनांक: पौड़ी, माह, फरवरी, 26, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत भण्डेली बँड (थलीसैण) से जखोला मोटर मार्ग स्टेज-1 के निर्माण हेतु 4.75 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं० ०८बी/यू.सी.पी./०६/२६३/२०१५/एफ०सी०/२०८०, दिनांक ०७-०१-२०१९ एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी की पत्र सं० २०३१/FP/UK/ROAD/10146/2015 दिनांक २४-०१-२०१९

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत करना है कि विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चाही गई सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग (अधिशाली अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० (सि०ख) बैजरो मुख्यालय-सतपुली (गढ़वाल) के पत्रांक-९६/पी.एम.जी.एस.वाई. (सि०ख०), दिनांक ०७-०२-२०२२ द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। जिसे मूल में संलग्न कर चार (४) प्रतियों में आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु अधिशाली अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० (सि०ख) बैजरो मुख्यालय-सतपुली (गढ़वाल) के उक्त सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति भी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(मुकेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक: 2650 / 12-1 , दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशाली अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० (सि०ख) बैजरो मुख्यालय-सतपुली (गढ़वाल) को उनके पत्रांक ९६/पी.एम.जी.एस.वाई. (सि०ख०), दिनांक ०७-०२-२०२२ के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मुकेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक:- १६ / पी०एम०जी०एस०वाई० (सि०ख) /

दिनांक ०१/०२/२०२२

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वनप्रभाग पौड़ी।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत मण्डेली बैंड (थलीसैण) से जखोला मोटर मार्ग स्टेज-। निर्माण हेतु ४.७५ हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक सं० ०८/बी/यू०सी० पी०/०६/२६३/२०१५/एफ०सी०/२०८० दिनांक ०७.०१.२०१९, अपर वन संरक्षक नोडल अधिकारी देहरादून का पत्रांक सं० २०३१/FP/UK/ROAD/10146/2015 दिनांक २४.०१.२०१९

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है:-

क्र०स०	शर्त	अनुपालन
1	शासन की शर्त सं०-१ प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ९.५० हे० ग्राम-जखोला के नॉन जेड०ए० सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इस वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। रोपण के समय कम से कम ५० प्रतिशत औ प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	शर्त सं०-१ के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले ९.५० हे० Degreded Forest Land पर क्षतिपूरक वृक्षा रोपण एवं १० वर्ष तक रखरखाव हेतु आवश्यक देय धनराशि जमा की जा चुकी है। क्षतिपूरक वृक्षा रोपण हेतु चिन्हित चंचरिया क०स० १ के पूर्वी अमेंली रेंज थलीसैण में ९.५० हे० Degreded वन भूमि प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के द्वारा आदेश सं० ९९७/१२-१ दिनांक ०८.१०.२०१८ के द्वारा उपलब्ध कराया गया है (छाया प्रति संलग्न)। सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा Degreded वन भूमि का जी०पी०एस० कोर्डिनेट उपलब्ध कराया गया है। इस वन भूमि का दाखिला खारिज/ अमल दरामद पूर्व से वन विभाग के नाम पर है।
2	शासन की शर्त सं०-२ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं० ५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि जमा की जायेगी।	शर्त सं०-२ के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र सं० ५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित धनराशि कुल ५७६८०६७ (सत्तावन लाख अडसठ हजार सडसठ रू० मात्र) जमा की जा चुकी है (संलग्न ऑन लाइन चालान की प्रति)।
3	शासन की शर्त सं०-३ शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाये।	शर्त सं०-३ के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु वचन बद्ध है इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

4	शासन की शर्त सं0-4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी	शर्त सं0-4 के अनुपालन में सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वेब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में एन0पी0वी0 एवं अन्य वांछित धनराशि प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धक तथा योजना प्राधिकरणों (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता सं0 में कुल रु0 5768067 (सत्तावन लाख अड़सठ हजार सड़सठ रु0 मात्र) वन विभाग के पक्ष में जमा किया गया है एवं वेब पोर्टल पर भी भुगतान प्राप्त प्रदर्शित है।
5	शासन की शर्त सं0-5 सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0-5 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation करने की शर्त को मानने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण वचन बद्ध है इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
6	State Govt. will upload 269 number of trees in online portal at para-4 (ii) Part-II	शर्त सं0-6 के अनुपालन में वृक्षों की कुल सं0 ऑनलाइन पोर्टल के पार्ट-2 में पैरा -4 (ii) के अन्तर्गत अपलोड कर दी गयी है।

विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जानी है।

1	वनभूमि की विधिक परिस्थित बदली नहीं जायेगी।	शर्त नं0 01- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदले जाने के लिये वचनबद्ध है।
2	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।	शर्त नं0 02- के अनुपालन में एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए वचनबद्ध है।
3	प्रतिपूरक वृक्षा रोपण हेतु चयनित 9.50 हे0 ग्राम जखोला के नॉन जेड0ए0 सिवलि एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	शर्त नं0 03- के अनुपालन में प्रतिपूरक वृक्षा रोपण हेतु चिन्हित चंचरिया क0स0 1 के पूर्वी अमेंली रेंज थलीसैण में 9.50 हे0 Degreded वन भूमि को 06 माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम , 1927 के अन्तर्गत आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी के द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करने के लिए सहमत है।
4	रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	शर्त नं0 04- के अनुपालन में रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण के लिए सहमत है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आप-पास मजदूरों/ स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लागाया जायेगी।	शर्त नं0 05- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों / स्टाफ के लिए कोई भी लेबर न लगाने के लिये के लिए सहमत है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का 4 फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पिल्लर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	शर्त नं0 06- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भूमि पर 4 फीट ऊंचे आर0सी0सी0 पिल्लर लगाकर सीमांकन करने तथा उस पर Forward एवं Back bearing अंकित करने के लिये के लिए सहमत है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/ कैंरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी। जिसे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।	शर्त नं0 07- के अनुपालन में प्रयोक्ता प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/ कैंरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी। जिसे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे के लिये वचनबद्ध

8	परियोजना निर्माण व रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वन सम्पत्तियों एवं जीव जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	शर्त नं० 08- के अनुपालन में परियोजना निर्माण व रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वन सम्पत्तियों एवं जीव जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाने के लिये सहमत है।
9	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा।	शर्त नं० 09- के अनुपालन में वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं करने के लिए सहमत है।
10	कम से कम वृक्षों का कटान/ पातन किया जायेगा, जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 269 से अधिक न हो।	शर्त नं० 10- के अनुपालन में कम से कम वृक्षा का कटान/ पातन किया जायेगा, जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 269 से अधिक न होने के लिए बचनबद्ध है।
11	सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में ठीक Strip plantation की जायेगी।	शर्त नं० 11- के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में ठीक Strip plantation किये जाने के लिए सहमत है।
12	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	शर्त नं० 12- के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंके जाने के लिए सहमत है।
13	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम/ न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त नं० 13- के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम/ न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना के लिए राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
14	ऐसी कोई अन्य कोई भी शर्त जो की भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।	शर्त नं० 14- के अनुपालन में ऐसी कोई अन्य कोई भी शर्त जो की भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे यदि विधिवत् में दी गयी शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने के लिए सहमत है।

भवदीय,

अधिशाली अभियंता,

पी०एम०जी०एस०वाई०(सि०ख०)बैजरा,
मुख्यालय-सतपुली (गढ़वाल)।

AGENCY COPY**NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**

Date : 06-02-2019

Agency Name.	PMGSY BAIJRO
Application No.	6110146308
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/263/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive engineer PMGSY (ID) Baijro H.G-Satpuli Pauri Garhwal
Amount(in Rs)	5768067/-

Amount in Words : Fifty-Seven Lakh Sixty-Eight Thousand and
Sixty-Seven Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following
details;**

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No. .	150896110146308 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY**NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**

Date : 06-02-2019

Agency Name.	PMGSY BAIJRO
Application No.	6110146308
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/263/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Executive engineer PMGSY (ID) Baijro H.G-Satpuli Pauri Garhwal
Amount(in Rs)	5768067/-

Amount in Words : Fifty-Seven Lakh Sixty-Eight Thousand and
Sixty-Seven Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following
details;**

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896110146308 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcompa@corpbank.co.in

अधिसाक्षी अमिता
पीएमएजीएसवाई
(सिस्टम) बैजरो मुं स
पीडी गढ़वाल



PARIVESH

परिवेश

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Government of India

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

My Account

My Proposals Environment Clearance

My Proposals Forest Clearance

My Proposals Wildlife Clearance

Help

11:24:20 AM

Sl. No.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of Int-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD /10146/2015 Bhandel Bend (Thalsain) To Jakhola Motor Road, KM 9.500 Under PMGSY	ROAD1014620153086	110146308	07 Jan 2019	CA: 2647317/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , RPV: 3129750/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 5768067/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by :02 Feb 2019 Nodal Officer On Bank Name :Corporation Bank Mode of Payment :NEFT/RTGS (Chalan) Chalan Generated On :06 Feb 2019 Transaction Date :20 Feb 2019	Demand Letter Generated Chalan
2	FP/UK/ROAD /11576/2015 Construction of Rauli to Kuneth Motor Road, km-5.50, Under PMGSY	ROAD115762015691	113115762015691	14 Mar 2017	CA: 2517107/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , RPV: 3263976/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 5781083/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by :22 Aug 2017 Nodal Officer On Bank Name :Corporation Bank Mode of Payment :NEFT/RTGS (Chalan) Chalan Generated On :23 Aug 2017 Transaction Date :11 Sep 2017	Demand Letter Generated Chalan



11:24 AM

2/23/2019



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०(सि०ख)बैजरा
मुख्यालय- सतपुली(गढ़वाल) ।

फोन नं०-01386-273344

फैक्स नं०-01386-273344

E- mail: eepmgsybaijro@rediffmail.com

परियोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत भण्डेली बैंड (थलीसैण) से जखोला मोटर मार्ग स्टेज-। निर्माण हेतु 4.75 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No-FP/UK/ROAD/10146/2015)

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि सक्षम स्तर से शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा जमा की जायेगी।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०(सि०ख) बैजरा,
मुख्यालय-सतपुली (गढ़वाल)।



प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०(सि०ख)बैजरा
मुख्यालय- सतपुली(गढ़वाल)।

फोन नं०-01386-273344
फैक्स नं०-01386-273344

E- mail: eepmgsybaijro@rediffmail.com

परियोजना का नाम:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत भण्डेली बैंड (थलीसैण) से जखोला मोटर मार्ग स्टेज-। निर्माण हेतु 4.75 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No-FP/UK/ROAD/10146/2015)

Strip Plantation किये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात् जहां- जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation किया जायेगा।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०(सि०ख०) बैजरा,
मुख्यालय-सतपुली (गढ़वाल)।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in ,

Fax no:-01368-222215

पत्रांक:-
सेवा में,

997 / 121

: दिनांक: पौड़ी, माह, अक्टूबर, 08, 2018

अधिशाली अभियन्ता,
पी.एम.जी.एस.वाई.(सि०खं०) बैजरौ,
मुख्यालय-सतपुली (गढ़वाल)

विषय- पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत थलीसैण (भण्डेली बैण्ड) जखोला मोटर मार्ग में पड़ने वाली वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु/Degraded Forest Land अवन्त भूमि के चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत करना है कि पी.एम.जी.एस.वाई.(सि०खं०) बैजरौ, मुख्यालय-सतपुली (गढ़वाल) के अन्तर्गत विषयगत मोटर मार्ग निर्माण के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु Degraded Forest Land चयनित कर निम्न प्रकार से है:-

क. सं.	रेंज का नाम	मोटर मार्ग का नाम	अर्जित सिविल भूमि	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि	चयनित भूमि का विवरण	जी.पी.एस. रीडिंग
1	2	3	4	5	6	7
1	पूर्वी अमेली रेंज, थलीसैण	थलीसैण (भण्डेली बैण्ड)-जखोला	4.75 हे.	9.50 हे.	चंचरिया क.सं. 1	N- 29°57'49.7" E- 79°02'56.9" N- 29°57'48.7" E- 79°02'50.7" N- 29°57'46.9" E- 79°02'48.4" N- 29°57'42.6" E- 79°02'41.7" N- 29°57'39.5" E- 79°02'37.1" N- 29°57'36.3" E- 79°02'40.4" N- 29°57'35.2" E- 79°02'42.1"

अतः विषयगत प्रकरण में अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह रावत.) भा० व० सेवा
उप वन संरक्षक,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक: / , दिनांकत।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

(लक्ष्मण सिंह रावत.) भा० व० सेवा
उप वन संरक्षक,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

!!कार्यालय, वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी अमेली रेंज, थलीसैण,!!
पत्रांक 134 / 12-1 थलीसैण, दिनांक: 04 सितम्बर 2018

सेवामें,

अ/व-ह/ब/र

प्रभागीय वनाधिकारी,
गडवाल वन प्रभाग पौड़ी,

विषय:- थलीसैण (भण्डेली बैण्ड) - जखोला मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित वन भूमि के चयन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक संख्या 783 / 12-1 दिनांक 18/9/2018।

महोदय,

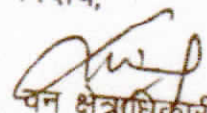
उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है, कि पूर्वी अमेली रेंज थलीसैण के अन्तर्गत थलीसैण (भण्डेली बैण्ड) - जखोला मोटर मार्ग के निर्माण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 9.500 है० डिग्रेडेड वन भूमि के लिए चंचरिया क०सं० 1 के 10 है० आरक्षित वन भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया है। जिसकी जी० पी०एस० रिडिंग निम्नप्रकार है।

चंचरिया क०सं० 1 - 10 है०

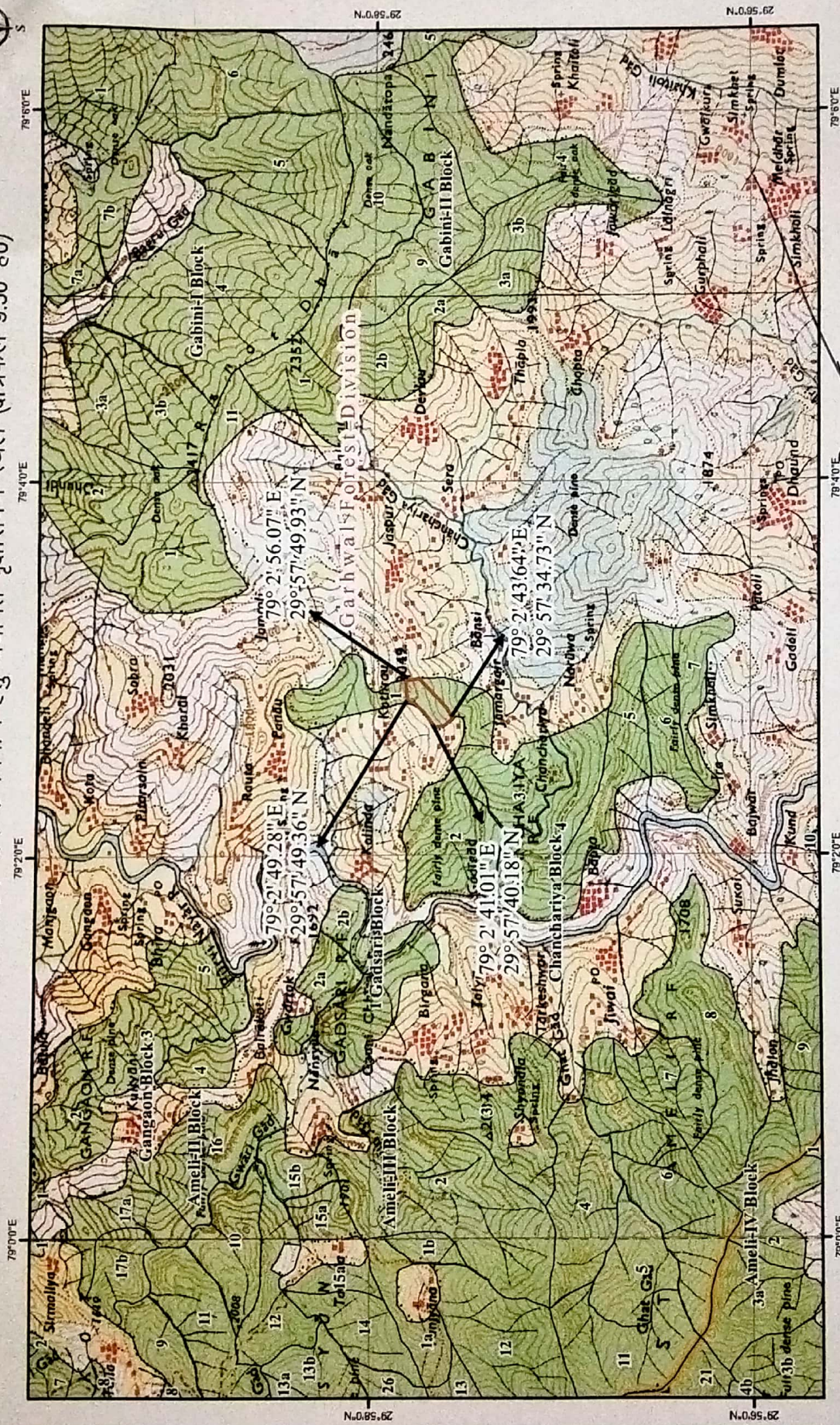
- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1- N- 29°57'49.7" | 2- N- 29°57'48.7" | 3- N- 29°57'46.9" |
| E- 79°02'56.9" | E- 79°02'50.7" | E- 79°02'48.4" |
| 4- N- 29°57'42.6" | 5- N- 29°57'39.5" | 6- N- 29°57'36.3" |
| E- 79°02'41.7" | E- 79°02'37.1" | E- 79°02'40.4" |
| 7- N- 29°57'35.2" | | |
| E- 79°02'42.1" | | |

अतः उपरोक्त मोटर मार्ग के क्षतिपूरण वृक्षारोपण हेतु भूमि का चयन कर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यावाही हेतु सारद प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,


वन क्षेत्राधिकारी,
पूर्वी अमेली रेंज थलीसैण

डिजिटल मैप:-जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0) बैजरो मु0-सतपुली में थलीसेण से जखोला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल 9.50 है0)



Legend

CA Land

उप वन संचक

गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी, Prepared by: JHCC, PCCF Office, Dehradun

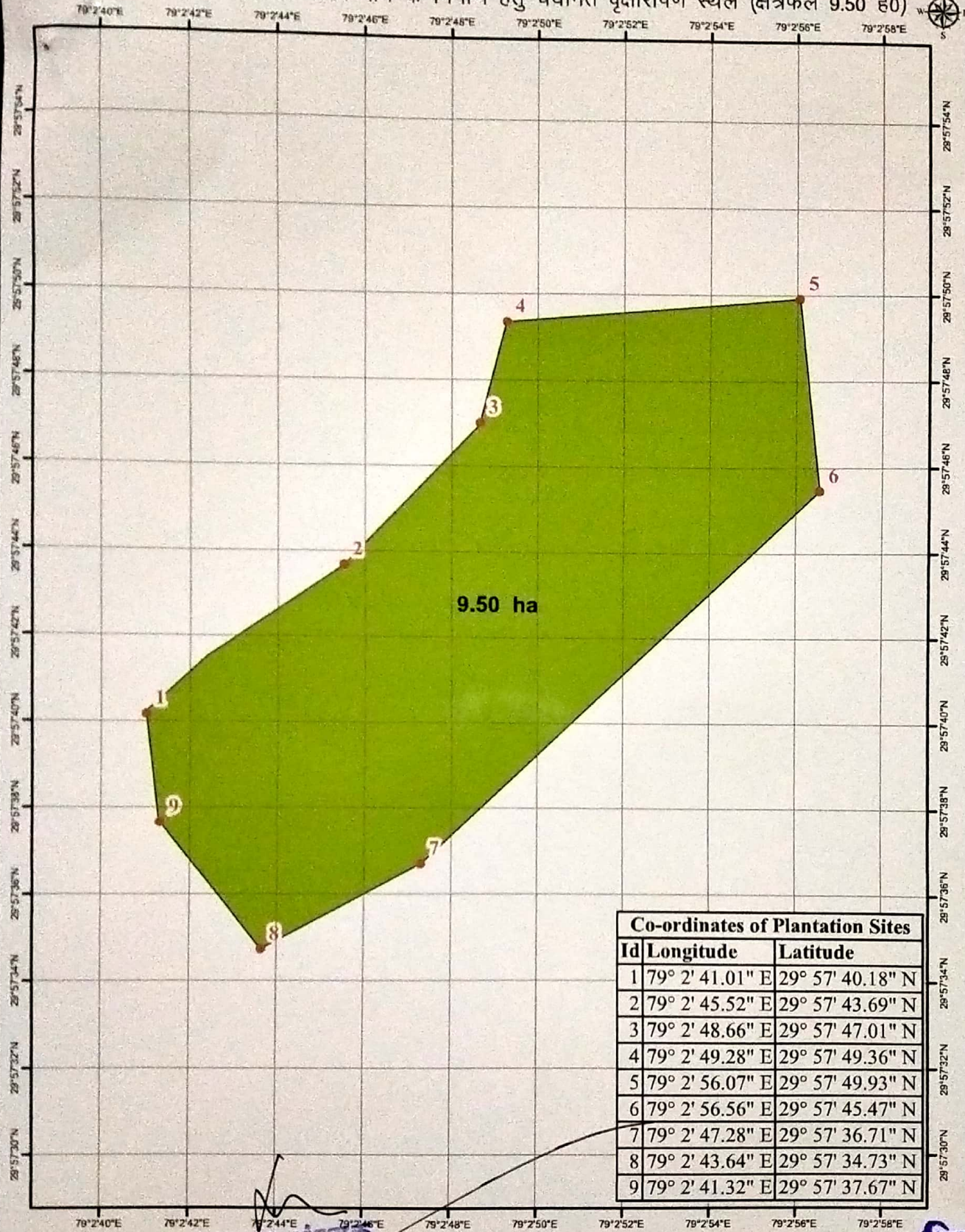
सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
(सि0ख0) बैजरो मु0 सतपुली
पौड़ी गढ़वाल

अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड
बैजरो (पौड़ी गढ़वाल)

प्रभागीय वनधिकारी
संविन एंव सोमेश वन प्रभाग
पौड़ी

मुख्य विकास अधिकारी
जिला वन विभाग
गढ़वाल

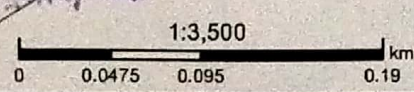
जियोरेफेरेंस मैप:-जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 (सि0ख0) बैजरो मु0-सतपुली में थलीसैण से जखोला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चयनित वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल 9.50 है0)



Co-ordinates of Plantation Sites		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 2' 41.01" E	29° 57' 40.18" N
2	79° 2' 45.52" E	29° 57' 43.69" N
3	79° 2' 48.66" E	29° 57' 47.01" N
4	79° 2' 49.28" E	29° 57' 49.36" N
5	79° 2' 56.07" E	29° 57' 49.93" N
6	79° 2' 56.56" E	29° 57' 45.47" N
7	79° 2' 47.28" E	29° 57' 36.71" N
8	79° 2' 43.64" E	29° 57' 34.73" N
9	79° 2' 41.32" E	29° 57' 37.67" N

Legend

- GPS Location
- CA Land



Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

उप जन संपर्क
गढ़वाल का प्रभाग, पौड़ी

जिला पंचायत
पौड़ी गढ़वाल
गढ़वाल

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
(सि0ख0) बैजरो मु0 सतपुली
पौड़ी गढ़वाल

अधिसूची आनयन
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड
बैजरो (पौड़ी गढ़वाल)

प्रमाणित किया गया
शिविर दल के प्रमुख के प्रमाण
पौड़ी